


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैथल.....
 किस्म मुकदमा नं० इश्वा बनाम रामजीलाल वर्गी सन् 202.....
अवमानना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राची व अप्राची एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित हैं। उनको न्यायालय में एक-एक कर-करा आवाज दिलवाई गई, परन्तु कोई भी न्यायालय समय तक उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण आदेशा क्रमियत उनके अन्तर्गत अहम हाजरी व अहम पैरवी में स्वारिय लिया जाता है। प्रकरण के लल सुभा को न गम्क से कम हो तथा दमर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सैथल </p>	